

सख्या : शिक्षा -यू(जी-3 )होस्टलज 2018./ 5813  
कार्यालय  
उप शिक्षा निदेशक, उच्चतर  
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)  
दिनांक :-उना 174303 25.9.2018

सेवा में

समस्त,प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक ✓  
रा0व0मा0पा0 / रा0उ0पा0

विषय:-

**Recommendation of Standing Committce of OBC regarding OBC Hostels Under the  
"Centrally Sponsored Scheme of Construction of Hostels for OBC Boys and Girls"-reg**

ज्ञापन ,


उपरोक्त विषय के बारे में शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र सख्या:शिक्षा-एच  
(9)3-4/2018(होस्टलज)होस्टलज दिनांक 19.9.2018 द्वारा दिशा निर्देश इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं जिसकी  
छायाप्रति भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि आप बिन्दु के अनुसार प्रस्ताव तैयार करके इस कार्यालय को चार दिन के  
भीतर विशेष सन्देश वाहक द्वारा उपलब्ध करवाये 1 ताकि समय पर समेकित करके रिपोर्ट शिक्षा निदेशक उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश शिमला को भेजी जा सके 1 देरी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे 1


सलंगन:-एक

पृष्ठांकन सख्यां: सम  
प्रतिलिपि:-

1.शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला को हेतु प्रेषित है 1

दिनांक उना 174303

  
उप शिक्षा निदेशक, उच्चतर  
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)-1  
2018

  
उप शिक्षा निदेशक, उच्चतर  
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

3

समयबद्ध/अति-आवश्यक

संख्या: शिक्षा-एच(9)3-4/2018-(होस्टलज)  
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उच्चतर),  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

सेवा में,

- 1.समस्त प्राचार्य,  
राजकीय डिग्री कॉलेज/संस्कृत कॉलेज,
- 2.उप शिक्षा निदेशक(उच्चतर),  
विलासपुर, चम्बा, हगीरपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, काला,  
कुल्लू, किन्नौर स्थित रि.पीओ, ला0स0, शिमला, सिरमौर,सोलन  
ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला--171001

जुलाई, 2018

विषय:-

Recommendation of Standing Committee of OBC regarding OBC Hostels under the "Centrally Sponsored Scheme of Construction of Hostels for OBC Boys and Girls"-reg.

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव(एस.जे. और इ.), हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या: एस.जे.इ.-बी-सी(10)13/2010, दिनांक 21.06.2018 के माध्यम से अवगत करवाया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 60% कम न हो । इस सम्बन्ध में ओ0बी0सी0 की छात्र-छात्राओं के लिए अपने जिले से जहा छात्रावास की नितांत आवश्यकता हो का प्रस्ताव निम्न शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त तैयार करें:-

- जिला में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 60% कम न हो । शिक्षण संस्थान का नाम जहां अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के नामकनानुसार उपरोक्त छात्रावास की नितांत आवश्यकता है; साथ ही यह भी आश्वस्त करे कि उक्त छात्रावास में छात्र-छात्राएं उपरोक्त सुविधा से लाभान्वित हों ।
- क्या उपरोक्त छात्रावास के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध है और भूमि विवाद रहित न हो ।
- उक्त भूमि की नवीनतम, जमाबन्दी तथा ततीमा की प्रति के साथ औचित्य सहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र-1 व 11 पर तैयार करें ।

उपर्युक्त के दृष्टिगत छात्रावास प्रस्ताव इस निदेशालय को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करवाएं ताकि सम्पूर्ण प्रस्ताव समेकित रूप में विशेष सचिव(एस.जे. और इ.), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके । अतः मामले में प्राथमिकता दें ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक(कॉ.)  
हिमाचल प्रदेश ।

dhe-sml-hp@gov.in, Phone No.0177- 2656621  
सितम्बर, 2018

पृष्ठांकन सम संख्यक दिनांक शिमला--171001  
प्रतिलिपि:-

- 1) प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हि0प्र0 सरकार, शिमला-2 को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में ।  
तकनीकी अधिकारी(कम्प्यूटर), उच्चतर शिक्षा निदेशालय को इस कथन के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त योजना का प्रकाशन उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित कर कृतार्थ करें ।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर शिक्षा

संयुक्त शिक्षा निदेशक(कॉ.)  
हिमाचल प्रदेश ।

19 SEP 2018